

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/2388/

जबलपुर, दिनांक 1/5/2019

श्री केवल श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-तीन (ए.पी.ओ.), जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल का दिनांक 01.04.19 से 15.04.19 तक कुल 15 दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

सही/-

(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्टार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/2389/

जबलपुर, दिनांक / / 2019

प्रतिलिपि :-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल (म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्री केवल श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-तीन (ए.पी.ओ.), जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(अजय पवार)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)

30/5/19

